हाँ, शिक्षक शिक्षा में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप !

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार के लिए सरकारों एवं समाज द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। ऐसे में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता तथा पेशेवर शिक्षकों की तैयारी एक महत्वपूर्ण सरोकार है। पेशेवर शिक्षकों की तैयारी के लिए विचार एवं चिंतन व्यक्त करते हुए शिक्षा आयोग (1966) ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा के नवीन एवं गतिशील तरीकों की आवश्यकता की पूर्ति प्रभावी पेशेवर अर्थात् शिक्षक शिक्षा से ही संभव होगी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग — 1983, राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1986 एवं पुनर्विचार समिति — 1990, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009, अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2009 तथा जस्टिस वर्मा आयोग — 2012 के साथ-साथ एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन — 2014 में शिक्षकों की पेशेवर तैयारी का एक मज़बूत खाका प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या का अद्यतन स्वरूप देते हुए इंटर्नशिप की अवधि 20 सप्ताह (6 माह) कर दी गई है तथा इसे वर्तमान शिक्षक शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों (कोर्सों) में कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन इसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा एक चुनौती एवं पेशेवर शिक्षकों की बेहतर तैयारी के रूप में न देखकर, एक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है। लेख के माध्यम से लेखक द्वारा शिक्षक शिक्षा संस्थानों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, विद्यार्थी-शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं प्रशासकों तथा अंत में समाज को शिक्षक शिक्षा की इंटर्नशिप पर समझ विकसित करने के लिए इंटर्नशिप का विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

आप सब जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। यदि हम बीमार होते हैं, तो हम शीघ्र ही डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को हम जिस बीमारी से पीड़ित हैं, उसके सारे लक्षण बताते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर ऐसी दवाई दे कि मेरी बीमारी दवाई खाते ही छू-मंतर हो जाए और हम एकदम स्वस्थ हो जाएँ तथा अपने दैनिक जीवन के कार्यों से जुड़ जाएँ। क्योंकि डॉक्टर अपनी पढ़ाई के दौरान एक वर्ष की व्यापक इंटर्नशिप से वास्तविक अनुभव प्राप्त करके सीखता है।

ऐसा ही एक उदाहरण भवन, सड़क, बाँध, पुल आदि निर्माण से जुड़ा हुआ लेते हैं। सामान्यत: यदि हम कोई भवन का निर्माण करते हैं, तो निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इंजीनियर की मदद लेते हैं। जिस भूमि पर भवन निर्माण होना है, उसका क्षेत्रफल, भूमि की मिट्टी का प्रकार आदि की जानकारी देते हुए

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110016

इंजीनियर से भवन की ड्राइंग बनवाने के साथ-साथ अनुमानित भवन निर्माण सामग्री, बजट, समय आदि पूछते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति घर (भवन) बनवाता है, तो वह अपने जीवन के कठिन परिश्रम की गाढ़ी कमाई (पूँजी) उसमें लगा देता है और बड़े अरमान से सुखी एवं शांति जीवनयापन के लक्ष्य को लेकर घर (भवन) बनवाता है। इस स्थिति में घर (भवन निर्माण) बनवाने वाले व्यक्ति का एकमात्र भरोसेमंद पेशेवर व्यक्ति इंजीनियर होता है। जो उसे घर (भवन) निर्माण से पूर्व तथा भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक मदद करता है। यहाँ पर भी हमने इंजीनियर की बात की है, जो अपनी पढ़ाई के दौरान पेशेवर इंजीनियर बनने हेतु छह माह की व्यापक इंटर्नशिप करके सीखता है।

यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दो पेशेवर व्यक्तियों डॉक्टर एवं इंजीनियर का वर्णन किया गया है। डॉक्टर एवं इंजीनियर के प्रति एक आम व्यक्ति की अपेक्षा रहती है कि वे हमें कुशल एवं पेशेवर मार्गदर्शन करेंगे। इसी प्रकार, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कुशल एवं पेशेवर व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। जिनमें शिक्षक भी शामिल हैं।

आज की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में कुशल एवं योग्य पेशेवर शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। वैसे पेशेवर शिक्षकों की तैयारी को लेकर शिक्षा आयोग (1966) ने चिंता व्यक्त की थी।

आयोग ने कहा था कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों की पेशेवर शिक्षा के ठोस कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आज के दौर में शिक्षा के नवीन एवं गतिशील तरीकों की आवश्यकता है। प्रभावी पेशेवर शिक्षा तभी संभव होगी, जब शिक्षक अपने शिक्षण में क्रांति लाना शुरू करें, जो भविष्य में उनके पेशेवर विकास की नींव होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया, शिक्षा के विकास में शिक्षक शिक्षा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, आयोग ने व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम के साथ समन्वित कोर्स की बात कही तथा कहा कि प्रत्येक सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा संस्थान के साथ एक स्कूल होना चाहिए। जो प्रयोगशाला की तरह होगा, जिसमें विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने विचारों एवं अपनी क्षमताओं तथा कौशलों में निखार लाने का अवसर मिलेगा।

प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग—1983 ने शिक्षकों की शिक्षा के लिए अनुशंसा की थी कि किसी भी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी-शिक्षक को आधारभूत कौशलों एवं क्षमताओं को अर्जित करने की योग्यता होनी चाहिए, जैसे— विद्यार्थियों की प्रबल क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा प्रबंधन की क्षमता, तार्किक एवं स्पष्ट विचारों का संप्रेषण, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध तकनीकी की उपयोगिता, कक्षा के बाहर के शैक्षिक अनुभवों से शिक्षित करना, समुदाय के साथ काम करना सीखना और विद्यार्थियों की मदद करना आदि। इसके साथ ही, शिक्षक शिक्षा के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन करने हेतु निम्न घटकों का ध्यान रखने का सुझाव भी दिया —

- शारीरिक रूप से स्वस्थ हो;
- भाषिक योग्यता एवं संप्रेषण कौशल;
- सामान्य मानसिक योग्यता;

- सामान्य रूप से संसार की जानकारी हो;
- जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो; तथा
- अच्छे मानवीय संबंध विकसित करने की क्षमता।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षकों की भूमिका से संबंधित विभिन्न कौशलों को सीखना, जिसमें शैक्षिक तकनीकी एवं सॉफ़्टवेयर तैयार करना भी है। विद्यार्थी-शिक्षकों को, कौशलों के उपयोग में दक्ष होना चाहिए तथा सहपाठियों में भी यह क्षमता विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। विशेषकर, शैक्षिक तकनीकी (ICTs) के हार्डवेयरों के रखरखाव में दक्ष होना चाहिए तथा उन्हें सॉफ़्टवेयरों के लिए उपलब्ध स्रोतों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिक्षा संस्थानों को उनके विद्यार्थी-शिक्षकों को पाठ्य-सहगामी गतिविधियों की योजना एवं संगठन के कौशल विकसित करने वाली कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए या विद्यार्थी-शिक्षकों को कार्यशालाओं में सहभागिता करने के लिए भेजना चाहिए। विद्यार्थी-शिक्षकों की शैक्षिक/पेशेवर तैयारी के लिए जैसे — शिक्षणशास्त्र, कौशलों का विकास जिसमें कहानी-कथन, पठन, श्यामपट्ट पर लिखना, नयी तकनीकी, जैसे — कंप्यूटर, एल. सी. डी., दृश्य-श्रृव्य उपकरण, मॉडल, ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कला, संगीत, नृत्य एवं क्राफ़्ट पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देने तथा भाषा एवं संप्रेषण में विशेष दक्षता तथा मूल्यों पर पर्याप्त ज़ोर दिए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1986 पर पुनर्विचार समिति — 1990 ने शिक्षकों को तैयार करने के अनेक सुझाव दिए। जिनमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी-शिक्षकों में शिक्षा के क्रियात्मक कौशलों एवं ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष के सभी पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने की क्षमता विकसित करना तथा स्तरीकृत समाज में शिक्षा की भूमिका की समझ तथा इस भूमिका का क्रियात्मक अर्थ प्रदान करने की योग्यता विकसित करना, दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी-शिक्षकों में निम्नलिखित व्यक्तिगत लक्षण भी होने चाहिए —

- स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने एवं सोचने की योग्यता;
- प्रचलन के विरुद्ध या लोकप्रिय मतानुसार कार्य करने की योग्यता;
- उत्प्रेरक एवं समझदार लोगों के साथ कार्य करने की योग्यता;
- समझ एवं अनुभव के आधार पर नेतृत्व करने की क्षमता;
- सृजनात्मकता एवं स्थिर क्रिया के लिए योग्यता;
- मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों को संगठित करने की योग्यता;
- समाज एवं शासन के विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने की योग्यता;
- उपलब्धि के लिए उच्च अभिप्रेरणात्मक आवश्यकताएँ होना;
- उपलब्धि की इच्छा एवं प्रतिकूल स्थितियों में कार्य करने की योग्यता; तथा
- उत्तरदायित्व स्वीकारने एवं ज़िम्मेदारियों को समझने की इच्छाशक्ति तथा उच्च अंतर्वैयक्तिक कौशल।

अतः शिक्षा आयोग, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में लाते हुए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005* में शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारी हेतु जो सुझाव दिए गए, वे इस प्रकार हैं —

- शिक्षकों की ऐसी तैयारी ज़रूरी है कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रख सकें और उनके साथ रहना पसंद करें।
- सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सकें।
- ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हों।
- शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा ज्ञान निर्माण को मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें।
- ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर, साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें।
- समाज के प्रति अपना दायित्व समझें और बेहतर विश्व के लिए काम करें।
- उत्पादक कार्य के महत्व को समझें तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यावहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाएँ।
- पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005 की मूल भावना को विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों में कार्यान्वित करने के लिए कानूनी रूप से अर्थात् *शिक्षा के अधिकार अधिनियम — 2009* में शिक्षकों से यह अपेक्षा की गई है कि उन्हें विद्यालय में अपनी उपस्थिति और नियमितता बनाए रखनी होगी; पूरी पाठ्यचर्या को निर्धारित समय में पूरा करना होगा; प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यता का आकलन करना होगा और उसी के अनुसार आवश्यक निर्देश देने होंगे अर्थात् शिक्षण-अधिगम करना होगा; शिक्षक को अभिभावकों से नियमित बैठकें करनी होंगी और अभिभावकों को उनके बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, सीखने की योग्यता, सीखने में हुई प्रगति तथा बच्चे के बारे में कोई भी अन्य सार्थक सूचना हो, उससे अवगत कराना होगा। इसी बात का ध्यान रखते हुए *शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2009* (एन.सी.एफ.टी.ई.) में भी यह कहा गया है कि डी.एल.एड. के दो वर्ष के कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह में चार दिन तथा न्यूनतम 6 से 10 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 एवं *शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2009* के कार्यान्वयन के पश्चात् भी शिक्षक शिक्षा की दयनीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए जस्टिस जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षक शिक्षा के वर्तमान में चलने वाले प्रमुख कोर्सों में पारंपरिक ढंग से ज्ञान का कुछ अंश ही शामिल किया जाता है, जो न तो शिक्षा के बड़े लक्ष्यों और विषय को ज्ञान से जोड़ते हैं और न ही कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से।

रिपोर्ट में परंपरागत शिक्षक शिक्षा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम विद्यार्थी-शिक्षक को कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से नहीं जोड़ते। जस्टिस वर्मा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा *एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन — 2014* के माध्यम से शिक्षक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सराहनीय प्रयास किया गया। जिसमें विशेषकर इंटर्नशिप की अवधि 20 सप्ताह (6 माह) करना एक महत्वपूर्ण कदम है। देश भर के तमाम शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए *एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन — 2014* के अनुसार इंटर्नशिप कराना अनिवार्य हो गया है। लेकिन आए दिन समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं कि शिक्षक शिक्षा संस्थान इंटर्नशिप की अवधि को एक समस्या के तौर पर देख रहे हैं तथा इस क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति विरोधी स्वर उभरने लगे हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठना लाज़मी है कि हम एक तरफ़ तो पेशेवर एवं कुशल डॉक्टर एवं इंजीनियर चाहते हैं, तो पेशेवर शिक्षक क्यों नहीं? सामान्यत: यह कहा जाता है कि एक अकुशल डॉक्टर द्वारा एक मरीज़ का इलाज करने से उस मरीज़ का नुकसान होगा। एक अकुशल इंजीनियर द्वारा भवन निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार करने पर उस भवन का नुकसान होगा। परंतु यदि एक अकुशल शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा तो कई पीढ़ियों का अर्थात् समाज का नुकसान होगा।

जब यह सभी बातें समाज के सभी जागरूक लोग जानते हैं, फिर भी समाज विशेषकर देश भर के तमाम शिक्षक शिक्षा संस्थान एवं प्रशासन इंटर्नशिप के प्रति गंभीर क्यों नहीं है? शिक्षक शिक्षा में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी-शिक्षक गंभीर रूप से इंटर्नशिप क्यों नहीं करना चाहते हैं? जिन विद्यालयों में इंटर्नशिप होती है, उन विद्यालयों के प्रमुख एवं शिक्षक इंटर्नशिप के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान क्यों नहीं देते? इंटर्नशिप के दौरान शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों का प्रभावी अवलोकन एवं फ़ीडबैक क्यों नहीं दिया जाता? इंटर्नशिप के पश्चात् प्रभावी आकलन क्यों नहीं किया जाता? आदि अनेक प्रकार के प्रश्न हैं जो इंटर्नशिप के आयोजन एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोचने को मज़बूर करते हैं।

इसके पश्चात् भी हम कहते हैं कि भारत के भविष्य का निर्माण विद्यालयों में हो रहा है। जिसमें शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन उस शिक्षक को कुशल एवं योग्य अर्थात् पेशेवर रूप से तैयार करने वाले शिक्षक शिक्षा संस्थान अभी भी गंभीर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्राय: हम देखते हैं कि शिक्षक, समाज में अपना सम्मान खोता जा रहा है एवं विद्यालय में अपनी भूमिका का सही मायने में निर्वहन नहीं कर पा रहा है।

ऐसे में *एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन — 2014* का शिक्षक शिक्षा और पेशेवर शिक्षकों को तैयार करने का दर्शन प्रासंगिक लगता है। इंटर्नशिप के बारे में शिक्षा आयोग (1966) ने भी कहा था कि विद्यार्थी-शिक्षकों को व्यापक इंटर्नशिप की आवश्यकता है, जो विद्यालय के समस्त कार्यों का पूर्णता में अवलोकन करने योग्य हो तथा शिक्षकों की कक्षा एवं कक्षा के बाहर की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागिता करे।

शिक्षक शिक्षा के प्रोग्रामों में विद्यालय इंटर्नशिप की अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है। जिसका लक्ष्य विद्यार्थी-शिक्षकों को अर्थपूर्ण एवं पूर्णता (अर्थात् विद्यालय की पाठ्यचर्यात्मक गतिविधियों के साथ-साथ मानवीय, वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव का आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है) में विद्यालय एवं विद्यार्थियों के साथ जोड़ना है। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी-शिक्षकों में, ज्ञान के व्यापक स्वरूप का भंडार (अर्थात् सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में विषय-वस्तु एवं अनुभव से प्राप्त ज्ञान का स्वरूप), पेशागत क्षमताओं, शिक्षक वार्तालाप, संवेदनशीलता तथा कौशलों का विकास होगा।

इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी-शिक्षक एक नियमित शिक्षक की भाँति विद्यालय में कार्य करेगा। कक्षा में पढ़ाने से पहले, वह विद्यालय को पूर्णता में समझने के लिए विद्यालय एवं कक्षाओं का एक सप्ताह तक अवलोकन करेगा तथा वह विद्यालय की सभी गतिविधियों, जैसे — योजना, शिक्षण एवं आकलन तथा विद्यालयी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेगा। जिसमें वह विद्यालय का दर्शन एवं लक्ष्य, संगठन एवं प्रबंधन; शिक्षक का विद्यालयी जीवन; विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनशील विकास की आवश्यकताएँ; पाठ्यचर्या के घटकों एवं उनका शिक्षण; गुणवत्ता; शिक्षण तथा शिक्षण-अधिगम के आकलन का अवलोकन कर समझेगा।

इस प्रकार इंटर्नशिप में विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने कोर्स के दौरान 20 सप्ताह तक (लगभग 6 माह) फ़ील्ड में अर्थात् शहरी, ग्रामीण, जनजातीय, अल्पसंख्यक, आवासीय, गैर-आवासीय, सामान्य, विशिष्ट, आदर्श, बालक, बालिका आदि प्रकार के विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, अभिभावकों, विद्यालय के गैर-अकादमिक सदस्यों आदि के साथ अंतर्क्रिया करने का अवसर दिया जाता है। साथ ही, विद्यालयी वातावरण, विद्यालय में विभिन्न दस्तावेज़ों का रखरखाव तथा उनका अद्यतन (Updates), विद्यालय एवं समुदाय में संबंध, विद्यालय के भवन एवं समस्त भौतिक सुविधाओं तथा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि का अध्ययन करने का मौका मिलता है। वहीं सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान का व्यावहारिक रूप में उपयोग करने हेतु केस अध्ययन, क्रियात्मक शोध, किसी विषय या समस्या आधारित परियोजना कार्य आदि करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी-शिक्षकों को कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों के साथ अंतर्क्रिया करने तथा शिक्षकों द्वारा कराई जा रही शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन कर सीखने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अपनाई जा रही आकलन प्रक्रिया, विद्यार्थियों के व्यवहारों, विद्यार्थी-शिक्षक संबंध, कमज़ोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षण-अधिगम व्यवस्था, विशेष आवश्यकता समूह के विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था तथा उनके प्रति अन्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का नज़रिया, शिक्षण-अधिगम में आई.सी.टी. का समुचित उपयोग आदि से रूबरू

होकर सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। इसी कड़ी में साथी विद्यार्थी की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन करने तथा उन्हें समुचित फ़ीडबैक देने एवं स्वयं की कमियों पर फ़ीडबैक प्राप्त कर स्वीकार करने की क्षमता का विकास भी होता है।

विद्यार्थी-शिक्षकों को इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण की रचनात्मक विधियों का उपयोग करने से स्व-अध्ययन तथा चर्चा करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, विद्यार्थी-शिक्षकों को स्व-आकलन कर अपनी कमियों में सुधार करने का अवसर, अपने मज़बूत पक्षों को पहचानने तथा साथी विद्यार्थी-शिक्षकों को लाभान्वित करने का अवसर रिफ़्लैक्टीव जर्नल (मननशील लेख) के माध्यम से मिलता है। रिफ़्लैक्टीव जर्नल में विद्यार्थी-शिक्षक विद्यालय में होने वाले प्रत्येक क्रियाकलापों के साथ-साथ स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करता है। इसमें वह स्वयं के कमज़ोर तथा मज़बूत पक्षों का सूक्ष्म दृष्टि से वर्णन करता है। इस प्रकार विद्यार्थी-शिक्षक स्वयं द्वारा लिखे गए रिफ़्लैक्टीव जर्नल का खुद समीक्षात्मक अवलोकन कर फ़ीडबैक प्राप्त कर स्वयं की क्षमताओं का विकास करता है। इसके अतिरिक्त इन रिफ़्लैक्टीव जर्नलों के आधार पर वह अपने साथी विद्यार्थी-शिक्षकों के बीच विद्यालयी क्रियाकलापों तथा शिक्षक-अधिगम प्रक्रिया पर चर्चा भी करता है। वहीं इंटर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी-शिक्षकों को अपने शिक्षक शिक्षा संस्थान में आयोजित सेमीनार में रिफ़्लैक्टीव जर्नल के अनुभवों के आधार पर अपने अनुभव बाँटने (शेयर करने) का भी मौका मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा रिफ़्लैक्टीव जर्नल लिखने से उनमें लेखन कौशल का विकास तो होता ही है, साथ ही स्वयं को पहचानने तथा अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधारने एवं साथी विद्यार्थी-शिक्षकों के साथ चर्चा करने पर आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

अत: *एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन — 2014* पर आधारित इंटर्नशिप विद्यार्थी-शिक्षकों को वास्तविक फ़ील्ड (विद्यालयों) में कार्य करने के लिए पेशेवर शिक्षक बनाने में सक्षम है। अब भारत सरकार के इस प्रयास को प्रशासन एवं समाज द्वारा या कहें कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों तथा विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन करने की महती आवश्यकता है। इस प्रकार की व्यापक एवं फलदायी इंटर्नशिप तभी संभव हो सकेगी जब शिक्षक शिक्षा संस्थान इंटर्नशिप पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यापक योजना बनाकर, संस्थान के संकाय सदस्यों की बेहतर पेशेवर तैयारी तथा इंटर्नशिप हेतु चयनित विद्यालयों के प्रमुखों एवं मेंटोर के रूप में योगदान देने वाले शिक्षकों को सार्थक प्रशिक्षण देकर शिक्षक शिक्षण संस्थान एवं विद्यालय के बीच व्यवस्थित सहयोग एवं समन्वय के साथ संयुक्त ज़िम्मेदारी निभाते हुए इंटर्नशिप संचालित करेंगे। इस कार्य के लिए राज्य सरकार को इंटर्नशिप हेतु चयनित विद्यालयों को विशेष पहचान देने के साथ-साथ आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं प्रबंधन तथा विद्यार्थी-शिक्षकों को वज़ीफ़ा व अवलोकन करने वाले शिक्षक पर्यवेक्षकों हेतु मानदेय के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुदान राशि प्रदान करनी चाहिए (शिक्षा आयोग; 1966)।

यदि वास्तविकता में इस इंटर्नशिप को अमल में लाया जाए तो लेखक को पूरा विश्वास है कि शिक्षक, समाज में अपने कम होते सम्मान एवं पहचान को पुन: स्थापित कर लेगा तथा दुनिया में हम बुलंद आवाज़ में कह सकेंगे कि 'वास्तव में, भारत के भविष्य का निर्माण विद्यालयों में हो रहा है' क्योंकि एक दृष्टिकोण ही प्रगति में बाधक या साधक बन सकता है। अत: यहाँ पर समापन के साथ किसी शायर की बात कहना उचित ही होगा कि —

सोच को बदलों सितारे बदल जाएँगे,
नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएँगे।
कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं,
दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएँगे॥

संदर्भ

एन.सी.टी.ई. 2009. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर टीचर एजुकेशन — टुवार्ड्स प्रीपेरिंग प्रोफ़ेशनल एंड ह्युमेन टीचर्स*. नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन, नयी दिल्ली.

———. 2014. *रिकोग्निशन नॉर्मस एंड प्रोसिजर्स — रेग्यूलेशन 2014*. नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन, नयी दिल्ली.

———. 2015. *करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ़ डिप्लोमा इन एलीमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम*. नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन, नयी दिल्ली. http://www.ncte- india.org/ Curriculum%20Framework/ D.El.Ed%20 Curriculum.pdf

———. 2015. *करिकुलम फ्रेमवर्क — टू-इयर बी.एड. प्रोग्राम*. नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन, नयी दिल्ली. http://www.ncte-india.org/Curriculum%20Framework/B.Ed%20Curriculum.pdf

भारत का राजपत्र. 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009*. संख्या-39. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. विज़न ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया — क्वालिटी एंड रेग्यूलेटरी पर्सपेक्टिव — रिपोर्ट ऑफ़ द हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टीट्यूटिड बाई ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया. वॉल्यूम 1. डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1970. एजुकेशन एंड नेशनल डिवेलपमेंट — रिपोर्ट ऑफ़ द एजुकेशन कमीशन (1964–66). *जनरल प्रोब्लम्स*. वॉल्यूम 1. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2012. *सिलेबस फ़ॉर टू-इयर बैचलर ऑफ़ एजुकेशन*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

https://www.aiims.edu/aiims/academic/aiims-syllabus/MBBS-schedule.pdf

https://www.aicte-india.org/downloads/eci.pdf